न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 19 / 2021

1. राकेशकुमार पुत्र राजूराम जाति मेघवाल साकिन बरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाटस

बनाम

1. गुड्डीदेवी पुत्री सन्तुराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. सदोदेवी पुत्री सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. परमेश्वरी पुत्री सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मेवादेवी पुत्री सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. विधादेवी पुत्री सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजूराम पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. बृजलाल पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गोपीराम पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. डूंगरराम पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. महावीर पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहरील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7,

श्री मांगीलाल देहड़ु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–8, 9, 10

श्री मदनलाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 3, 5

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

अपीलांट द्वारा बखिलाफ निर्णय दिनांक 26.20.21 बअदालत तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा "प्रशासन गांव के संग अभियान 2021" में इन्तकाल संख्या 2948 रौही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर दर्ज व तस्दीक किया गया, को अपास्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलकृत निर्णय दिनांक 26.10.2021 जिसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इन्तकाल नम्बर 2948 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है। नकल इन्तकाल नम्बर 570 दिनांक 26.10.2021 संलग्न अपील है।

2. अपील से सम्बधित कुर्सीनामा फरीकैन निम्न प्रकार है–

सन्तुराम फौत
|
सोना देवी फौत
|
प्रमेश्वरी, राजूराम, गुडडीदेवी, गोपीराम, सदोदेवी, बृजलाल, डुगरराम, महावीर, विधादेवी, मेवोदवी

3. रौही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर खाता संख्या 570/487 पत्थर नम्बर 138/37 मुरब्बा नम्बर [illegible]0, 22/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2530 पत्थर नम्बर 138/38 मुरब्बा नम्बर 845 किला नम्बर 2/0.2530, 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530, 7/0.2530, 8/0.2530 पत्थर नम्बर 138/45 मुरब्बा नम्बर 840 किला नम्बर 13/0.2530, 19/0.2530, 20/0.2530, 17/0.2530, 21/0.2530, 18/0.2530, 22/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530 पत्थर नम्बर 138/46 मुरब्बा नम्बर 844 किला नम्बर 1/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2530, 2/0.2530, 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 9/0.2530, 8/0.2530, 7/0.2530, 10/0.2530 कुल तादादी 7.5900 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा भूमि मुस्मी सन्तुराम पुत्र मसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

4. यह कि मुस्मी सन्तुराम पुत्र मंसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर ने अपने खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 570/487 कुल तादादी 7.5900 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा जिसका पूरा विवरण अपील की मद नम्बर 3 में दर्ज है वाके रौही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि उसने अपने हयात में दिनांक 26.02.2020 को स्वैच्छा से होस हवास में प्रसन्नचित से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि उसने अपने होश हवास में दिनांक 26.02.2021 को स्वैच्छा से प्रश्न्नचित से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि की एक वसीयत अपने पौत्रो अपीलांटस राकेशकुमार व मांगीलाल के पक्ष में करवा दी तथा यह उसकी अन्तिम वसीयत थी बिल प्रतिलिपि वसीयतनामा दिनांक 26.02.2021 संलग्न अपील है।

5. सन्तुराम पुत्र मंसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर दिनांक 12.06.2021 को फौत हो चुका है और उसकी कुल वादग्रस्त भूमि के हकदार व खातेदार उसकी वसीयत दिनांक 26.02.2021 के आधार पर अपीलांटस राकेशकुमार व मांगीलाल हुए।

6. अपीलांधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 व अदालत मातहत जिसके आधार पर दर्ज तस्दीक नामान्तरण संख्या 2948 विरास्तन के आधार पर करने में कोई कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई है तथा प्रभावित पक्षकार को सुनवाई हेतु कोई नोटिस व सम्मन जारी नही किया गया है तथा निर्णय दिनांक 26.10.2021 उसके आधार दर्ज व तस्दीक इन्तकाल संख्या 2948 इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

7. मातहत अदालत ने नामान्तरण की कार्यवाही में कोई जांच नही की है तथा ना ही कोई पत्रावली मूर्तिब की गई है जबकि खातेदार सन्तुराम ने अपनी खातेदारी भूमि का अपने जीवनकाल में जरिये व[illegible]लांटस को अपने मृत्यु के पश्चात खातेदार काश्तकार मा[illegible] है। इसलिये मा[illegible] अदालत द्वारा विरास्तन के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही काबिल निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर नोहर

8. वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांटस के पक्ष में राजस्व अभियान कैम्प बिरकाली में दिनांक 26.10.2021 को डिक्री पारित कर दी गई है फिर भी मातहत अदालत द्वारा दिनांक राजस्व अभियान गांव के संग में दिनांक 26.10.2021 को विरास्तन के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आधार पर नामान्तरण संख्या 2948 दर्ज व तस्दीक की कार्यवाही अवैधानिक है तथा काबिल मन्सूखी है ।

9. मातहत अदालत का निर्णय निांक 26.10.2021 तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इन्तकाल नम्बर 2948 निर्णय व आदेश की परिभाषा में नही आती है तथा निर्णय दिनांक 26.10.2021 Speaking order नहीं है।

10. यह कि अन्य वजूहात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

11. अपील अपीलांटस अदालतवाला के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा 2/- रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर 26.10.2021 जिसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण संख्या 2948 निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक सन्तुराम की वसीयत दिनांक 26.09.2021 के आधार पर अपीलाटस प्रार्थीगण के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार (राजस्व) नोहर को फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-1, 2 के रजिस्टर्ड डाक नोटिस से बाद तामिल भी उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या-3, 5 की ओर मदनलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा इकबाल अपील पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 9, 10 की ओर से श्रीमांगीलाल देहडु एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या-07 की ओर श्री भरतसिंह बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या-4, 6 रजिस्टर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या-11 तहसीलदार राजस्व नोहर अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सन्तुराम पुत्र मसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर ने अपने खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 370 कुल तादादी 7.5900 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर की खातेदारी भूमि दिनांक 26.02.2021 को स्वैच्छा से होस हवास में प्रसन्नचित से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि की एक वसीयत अपने पौत्रो अपीलांटस राकेशकुमार व मांगीलाल के पक्ष में करवा दी तथा यह उसकी अन्तिम वसीयत थी। अपीलांटस के पक्ष में राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अभियान कैम्प बिरकाली में दिनांक 26.10.2021 को डिक्री पारित कर दी गई है। फिर भी मातहत अदालत द्वारा दिनांक राजस्व अभियान गांव के संग में दिनांक 26.10.2021 को विरास्तन के आधार पर नामान्तरण संख्या 2948 दर्ज व तस्दीक की कार्यवाही अवैधानिक है अतः निर्णय दिनांक 26.10.2021 के आधार पर दर्ज व तस्दीक इन्तकाल संख्या 2948 खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2021 को पारित निर्णय एंव तस्दीक विरासतन नामान्तरण विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय के तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि संतुराम पुत्र मंशाराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर द्वारा खाता संख्या 570/487 में दर्ज 7.5900 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा रौही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की खातेदारी भूमि की दिनांक 26.02.2021 को वसीयत राकेश कुमार पुत्र राजू निवासी बिरकाली एंव मांगीलाल पुत्र बृजलाल निवासी बिरकाली पक्ष में करवाई गई। दिनांक 26.02.2021 को निष्पादित वसीयत के आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा "प्रशासन के संग अभियान–2021" कैम्प बिरकाली में दिनांक 26.10.2021 को राकेश कुमार पुत्र राजू एंव मांगीलाल पुत्र बृजलाल के पक्ष में डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा विरासतन नामान्तरण संख्या 2948 दिनांक 26.10.2021 को स्वीकृत किया गया।

न्यायालय के मत में जब न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा वसीयत के आधार पर राकेश कुमार पुत्र राजू एंव मांगीलाल पुत्र बृजलाल के पक्ष में डिक्री पारित की गई तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक विरासतन नामान्तरण संख्या 2948 दिनांक [illegible]021 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तह[illegible]र नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 2948 दिनांक 26.10.2021 को दर्ज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2948 दिनांक 26.10.2021 अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 19/2021 अनवान राकेश कुमार आदि बनाम गुड्डी देवी आदि

की जांच कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested